

दवियांग कर्मियों को पदोन्नतमें मलैगा चार फीसदी कषैतजि आरक्षण

चर्चा में क्यों?

1 जुलाई, 2022 को हरयाणा के मुख्य सचवि संजीव कौशल ने राज्य के दवियांग कर्मियों को पदोन्नतियों में 4 फीसदी कषैतजि आरक्षण देने संबंधी-पत्र जारी कर दया। इसका लाभ दवियांगजन अधकार अधनयिम, 2016 में कवर होने वाले बेंचमारक दवियांग कर्मियों को मलैगा।

प्रमुख बदि

- मुख्य सचवि ने सभी प्रशासनकि सचवियों, वभिगाधयकषों, बोर्ड, नगिमों, सारवजनकि उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध नदिशकों, मंडलायुक्तों, पंजाब एवं हरयाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के रजसिटरार, डीसी व एसडीएम के अलावा सभी वशिवदियालयों के रजसिटरार को पत्र जारी कर दया है।
- 19 अप्रैल, 2017 को दवियांगजन अधकार अधनयिम, 2016, लागू हुआ था, इसलयाि चार प्रतशित कषैतजि (हॉरजिॉन्टल) आरक्षण का लाभ 19 अप्रैल, 2017 से मलैगा।
- पदोन्नतके मामले में गुरुप ए, बी, सी और डी कैडर के कुल पदों में से चार प्रतशित दवियांगों के लयाि आरक्षति रखे जाएंगे। दृष्टहीनता या कम दृष्ट, बधरि या हार्ड हयिरगि, लोकोमोटर दवियांगता में सेरबिरल पॉल्सी (मस्तषिक पक्षाघात) से पीडति व्यकर्ता, लेप्रोसी क्योर्ड, बोनापन, एसडि अटैक पीडति और मस्कूलर डसिटरॉफी के मामले में 1-1 प्रतशित आरक्षण मलैगा।
- ऑटजिम, इंटेलेक्चुअल डसिबलिटि, स्पेसफिकि लर्नगि डसिबलिटि और मेटल इलनेस, बहरापन के मामले में गुरुप ए से डी तक मल्टीपल डसिबलिटि श्रेणी में संयुक्त रूप से एक प्रतशित आरक्षण दया जाएगा।
- अधसिचना के अनुसार यदकोई वभिग दवियांगों के लयाि आरक्षण के प्रावधान से कसिी पद/संवरग को आंशकि रूप से या पूरी तरह से छूट देना आवश्यक समझता है तो प्रस्ताव की पूरण तरकसंगत बताते हुए सामाजकि न्याय एवं अधकारति वभिग को आग्रह कर सकता है।
- उल्लेखनीय है कानागरकों के पछिडे वर्गों (अनुसूचति जातियों एवं पछिडे वर्गों) के लयाि आरक्षण को वर्टकिल आरक्षण कहा जाता है। दवियांगों और पूरव सैनकों जैसी श्रेणियों के लयाि आरक्षण को हॉरजिॉन्टल आरक्षण कहते